न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या - 45/2022

उनवान
गुर्जर जगराजगढ़ मजरा देवपुरा

1. मगना पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम जाति रावत निवासी फारकिया/ नसीराबाद

अपीलार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

वनाम

1. सरपच ग्राम पंचायत विठुर प0स0 श्रीनगर, अजमेर
2. अब्दुल,
3. अलादीन,
4. पेमा,
5. वन्ना,
6. मोहन पि. रामा
7. हीरी पत्नी रामा जाति मेहरात नि. भीमपुरा, नसीराबाद
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

--- रेस्पोंडेटस :- 1 से 7 अनुपस्थित
8 जरिये राज0 पैरोकार

दिनांक 20.7.22 को अनुमोदित की प्रति
प्रतिलिपि जारी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत विठुर प0स0 श्रीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.08.2021 नामान्तरकरण संख्या 916 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के विरूद्व अपील बाबत।

- आदेश - दिनांक :- 15.7.22

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा के वर्किंग खसरा नम्बर 830 रकबा 2-10-0 हाल खसरा नम्बर 913 रकबा 0.41 की आराजी अपीलांट ने रामा पुत्र काना से कय की थी। कय करने के बाद उक्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज कर दी गयी। अपीलांट के विरूद्व माननीय अपर जिला कलक्टर महोदय, अजमेर में एक अपील संख्या 41/2016 पेश की गयी। उक्त अपील मे नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 21.08.1985 को निरस्त किया गया। तथा प्रकरण तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये राजस्व रेकार्ड का भली भांति अवलोकन कर नये सिरे से आदेश पारित करे। जिसमे तहसीलदार नसीराबाद द्वारा अपील में दिनांक 18.02.2017 को आदेश पारित किया गया कि नामान्तकरण सख्या 238 दिनाक 20.08.1985 को निरस्त किया जाता है। खसरा नम्बर 830 के हाल खसरा नम्बर 913 को पुनः रामा पुत्र जोरा अथवा उसके वारिसान के नाम करने का निर्धारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा विचाराधीन वाद के निस्तारण मे किया जायेगा। उक्त आदेश के विरूद्व सभागीय आयुक्त अजमेर मे अपील संख्या 83/2018 व 43/2017 [illegible] द्वारा भी नियमित वाद रामा पुत्र जोरा के वारिसान (वादीगण) को दिनांक 28.04.20[illegible] [illegible] कर दिया है। इसके बावजूद ग्राम पचायत विठुर द्वारा रेस्पोंडेन्टस [illegible] नाम विधि विरूद्व तरीके से निर्णय व डिकी की अनदेखी कर [illegible] नामान्तकरण स[illegible]16 दिनाक 26.07.2021 को भरकर दिनाक 05.08.2021 को आदेश पारित किया [illegible] नामान्तकरण को निरस्त कर आराजी मुतनाजा अपीलांट के नाम दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे व राज0 पैरोकार ने जाहिर किया की अपीलांट अपनी अपील स्वयं सिद्व करे। बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 913 रकवा 0.41 हाल राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के नाम खाातेदारी दर्ज है।उक्त आराजी पूर्व में मगना पुत्र नाथू अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज थी। आराजी मुतनाजा बावत अनवर खां पुत्र रामा द्वारा एक नामान्तकरण अपील अपीलांट के विरूद्व माननीय न्यायालय अपर कलक्टर महोदय, अजमेर के समक्ष पेश की जिसमें दिनांक 26.04.2017 को आदेश पारित कर नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 21.08.1985 को निरस्त कर तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया गया कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नये सिरे से निर्णय पारित करे। तहसीलदार नसीराबाद ने अपने निर्णय दिनांक 18.12.2017 द्वारा नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 20.08.1985 निरस्त कर दिया तथा आदेश में उल्लेख किया कि हाल खसरा नम्बर 913 रकवा 0.41 पुनः रामा पुत्र जोरा अथवा उसके वारिस के नाम करने का निर्धारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा विचाराधीन वाद के निस्तारण में किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार नसीराबाद ने नामान्तकरण संख्या 238 को निरस्त कर भूमि मगना पुत्र नाथू के स्थान पर रामा पुत्र काना के नाम दर्ज की तथा आगे भूमि के हको के निर्धारण के लिये हाजा न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय बावत अंकन किया है। हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 117/2015 उनवान अनवर बनाम मगना वाद में दिनांक 28.04.2021 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही माननीय न्यायालय अपर कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश दिनांक 26.04.2017 की अपील भी माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के हको के निर्धारण के लिये अपीलीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। बिना हको के निर्धारण आराजी मुतनाजा रामा पुत्र काना के वारिसों के नाम नामान्तकरण संख्या 916 दिनांक 5.08.221 द्वारा ग्राम पंचायत विठुर द्वारा कर दी गयी। उक्त नामान्तकरण अपील विचाराधीन होने के बावजूद त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है। रामा पुत्र काना द्वारा अपीलांट को भूमि का विक्रय पूर्व में किया जा चुका है। अतः भूमि पुनः नामान्तकरण से उसके वारिसो के नाम करने से वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। किन्तु नामान्तकरण संख्या 916/05.08.221 द्वारा रामा पुत्र काना की विरासत आराजी मुतनाजा के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरो पर भी दर्ज की गयी है। प्रकरण में आराजी मुतनाजा ग्राम भीमपुरा के खसरा नम्बर 913 रकबा 0.41 है। अतः सम्पूर्ण नामान्तकरण को निरस्त नही कर उक्त नामान्तकरण में आराजी मुतनाजा के नामान्तकरण को निरस्त किया जाना उचित है।

उक्तानुसार अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। नामान्तकरण संख्या 916/05.08.221 द्वारा ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 913 रकबा 0.41 पर किये गये अंकन को निरस्त कर भूमि पुनः रामा पुत्र काना के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। भूमि पर अपीलांट के हक का निर्धारण माननीय सभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर व राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन अपील म पारित आदेशानुसार किया जायेगा। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:13 IST
Reason: SelfAttested